अध्याय 2 (मैनुअल – 1)
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

लोक प्राधिकरण (वन विभाग) के उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है। संभवतः देश का यह प्रथम राज्य है जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाध न के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। राज्य के विपुल संसाधन को निरंतरता के आधार पर स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु चिन्हांकित कर उनके खुले दखल उपभोग को समुदाय नियंत्रित करना एवं प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित एवं प्रबंधित संसाधन के रूप में मान्य करना।

- ➢ प्रमुख वनोपज (लकड़ी) से लघुवनोपज, एकल स्तर से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रतीकात्मक प्रजाति से वन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना।
- ➢ राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करना।
- ➢ जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार है को सुरक्षित रखकर राज्य के जैव सांस्कृतिक धरो हर को संरक्षित रखना।
- ➢ नदियों एवं जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भूक्षरण एवं वन आवरण कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। निरंतर गिर रहे भू–जल स्तर को उच्चतम उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद जमा होने की गति में कमी लाना।
- ➢ कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कायक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।
- ➢ वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ एवं छोटी लकड़ी ,चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- ➢ वनों को आर्थिक, लाभ का स्त्रोत न मानकर, राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकिय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- ➢ उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक युक्ति नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना।

वन विभाग का मिशन / विजन

छत्तीसगढ़ राज्य की जनता की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के लिए तैयार की गयी जनोन्नमुखी वन नीति में वन संसाधन के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सुरक्षा के सुदृ ढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। राज्य शासन के संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी संकल्प अक्टूबर 2001 एवं संशोधित संकल्प 2002 द्वारा वनों के प्रबंधन एवं सुरक्षा में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

वन विभाग का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 2000 को हुई है। इस प्रदेश में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश के 16 जिले सम्मिलित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,224 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 % हैं। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग कि.मी. हैं, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21 % हैं। राज्य के वनक्षेत्र में 38.671 % आरक्षित वन, 44.671 % सीमांकित संरक्षित वन तथ शेष 16.66 % असीमांकित संरक्षित वन सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य के वन – एक दृष्टि मे

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.167	43.13
संरक्षित	24036.100	40.22
अवर्गीकृत	9954.133	16.65
योग	59772.400	100.00
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.878	40.56
सागौन	5633.131	9.42
मिश्रित	26018.380	43.52
कार्य अयोग्य	3876.011	6.50
योग	59772.400	100.00
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र		
राष्ट्रीय उद्यान – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य– 11	6615.295	11.06

छत्तीसगढ़ में वनों की प्रासंगिकता

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार $17^{0}46'$ से $24^{0}6'$ उत्तर अक्षांश तथा $80^{0}15'$ से $84^{0}51'$ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 135224 वर्ग कि. मी. है तथा 44.2% अर्थात् 59772 वर्ग किमी वनों से आच्छादित हैं इसमें 4 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियॉ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आद्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. हैं।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आद्र पर्णपाती य वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉ साल तथा सागौन हैं। साल के वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। राज्य के वनों में बीजा, साजा, धावड़ा, महुआ, तेन्दू, आंवला, आदि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त वनो में बांस (डेन्ड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस) जो कि वन–वासियों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्त्रोत है, भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं। वनों में नाना प्रकार की

वनौषधियां भी पाई जाती हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

राज्य के वनों में कई महत्वपूर्ण वन्य प्राणी जैसे शेर (पैन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पैन्थरा पार्ड्स), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नीलगाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस सेक्रोफा) भी पाये जाते हैं । दुर्लभ वन्य प्राणियों जैसे वन भैसा (बूबालस बूबालस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रेकुला इंडिका) इस राज्य की बहूमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है।

यह राज्य कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वांगीण विकास के परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

<u>लोक प्राधिकरण के कर्तव्य / मुख्य कृत्य</u>

वन विभाग छत्तीसगढ़, '' राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता को'' वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के बहुआयामी उपयोग हेतु संरक्षित एवं संवर्धन के लिये कृत संकल्पित है। संक्षेप में विभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :–

- राज्य की समृद्ध जैव–सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षा एवं समेकित विकास कर ना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।
- वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निर्वर्तन ।
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निर्वर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना

प्रशासनिक संरचना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की प्रशासनिक संर चना निम्नानुसार है :

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	विभागाध्यक्ष	श्री आर. के. शर्मा
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	वन्यप्राणी	श्री एन.के. भगत
3.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रशा./राजपत्रित	श्री रामप्रकाश
4.	अ. प्र. मु. व. सं./संचालक	राज्य वन अनु. एवं प्रशि. संस्थान	डॉ. ए. ए. बोआज
5.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	कार्य आयोजना	श्री व्ही. एस. सिलेकर
6.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	संयुक्त वन प्रबंधन	डॉ. अनूप भल्ला
7.	मुख्य वन संरक्षक	परियोजना निर्माण	डॉ. बी. एन. द्विवेदी
8.	मुख्य वन संरक्षक	विकास/योजना	डॉ. जे. के. उपाध्याय
9.	मुख्य वन संरक्षक	अनुवेक्षण/मूल्यांकन	डॉ. एन. सी. पंत
10.	मुख्य वन संरक्षक	बांस मिशन	श्री दिवाकर मिश्रा
11.	मुख्य वन संरक्षक	उत्पादन	श्री बी. के. सिन्हा
12.	मुख्य वन संरक्षक	वन्य प्राणी	श्री आर. के. टम्टा
13.	मुख्य वन संरक्षक	प्रशा./अराज	श्री प्रताप सिंह
14.	मुख्य वन संरक्षक	मानस संसाधन विकास/सू.प्रौ.	श्री के. सी. बेवर्ता
15.	मुख्य वन संरक्षक	भू–प्रबंध	श्री मुदित कुमार सिंह
16.	मुख्य वन संरक्षक	इको टूरिजम	श्री अरूण कुमार द्विवेदी
17.	मुख्य वन संरक्षक	लघु वनोपज	श्री के. सी. यादव
18.	मुख्य वन संरक्षक	सतर्कता / शिकायत	श्री एल. आर. दोहरे
19.	मुख्य वन संरक्षक	समन्वय	श्री पी. सी. मिश्रा
20.	मुख्य वन संरक्षक	वित्त/बजट एवं लेखा	डॉ. बी. पी. नोन्हारे
21.	मुख्य वन संरक्षक	कैम्पा	श्री अतुल शुक्ला
22.	मुख्य वन संरक्षक	अनुसंधान एवं विस्तार	डॉ. जितेन कुमार
23.	मुख्य वन संरक्षक	संरक्षण	श्री आर. बी. पी. सिन्हा
24.	वन संरक्षक	प्रचार/जनसंपर्क	श्री राकेश चतुर्वेदी
25.	वन संरक्षक	विकास/योजना	श्री के. मुरूगन
26.	वन संरक्षक	उत्पादन	श्री जे. एस. म्हस्के
27.	वन संरक्षक	प्रशासन/समन्वय	श्री अनिल राय
28.	वन संरक्षक	वन्य प्राणी	श्रीमती अनिता नंदी
29.	वन संरक्षक	संयुक्त वन प्रबंधन	श्री बी. आनंद बाबू
30.	वन संरक्षक	भू–प्रबंध	श्री व्ही. शेट्टेप्पनावर
31.	उप वन संरक्षक	रोकड़	श्री सुरेश कुमार पैकरा

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

विभागाध्यक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर	
1	विकास/योजना
2	वन्यप्राणी
3	प्रशासन – राजपत्रित
3	प्रशासन – अराजपत्रित
5	कार्यआयोजना
6	बजट एवं लेखा
7	संरक्षण
8	भू–प्रबंध
9	उत्पादन
10	सतर्कता / शिकायत
11	परियोजना निर्माण एवं अनुसंधान विस्तार
12	संयुक्त वन प्रबंधन

क्षेत्रीय कार्यालय (वन वृत्त एवं वनमंडल)		
रायपुर वन वृत्त	1	रायपुर
	2	पूर्व रायपुर
	3	महासमुंद
	4	धमतरी
	5	उदन्ती
	6	सामाजिक वानिकी, रायपुर
जगदलपुर	1	बस्तर
	2	दंतेवाड़ा
	3	सुकमा
	4	बीजापुर
	5	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
	6	वन विद्यालय
	7	सामाजिक वानिकी, जगदलपुर
कांकेर	1	कोंडागांव (दक्षिण)
	2	कोंडागांव (उत्तर)
	3	कांकेर
	4	भानुप्रतापपुर (पूर्व)
	5	भानुप्रतापपुर (पश्चिम)
	6	नारायणपुर
बिलासपुर	1	बिलासपुर
	2	मरवाही
	3	कोरबा
	4	कटघोरा
	5	रायगढ़
	6	धरमजयगढ़
	7	जांजगीर – चांपा
	8	सामाजिक वानिकी, बिलासपुर
सरगुजा	1	सरगुजा (उत्तर)
	2	सरगुजा (पूर्व)
	3	सरगुजा (दक्षिण)
	4	कोरिया
	5	मनेन्द्रगढ़
	6	जशपुर
	7	गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान

दुर्ग	1	दुर्ग
	2	राजनांदगांव
	3	खैरागढ़
	4	कवर्धा
कार्य आयोजना, बिलासपुर वृत्त	1	बिलासपुर
	2	रायपुर
	3	दुर्ग
	4	कांकेर
	5	सरगुजा
	6	जगदलपुर
	7	एफ.एम.आई.एस., रायपुर
इन्द्रावती प्रोजेक्ट		इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर

वन विभाग की क्षेत्रीय प्रशासनिक ईकाईयॉ राज्य में निम्नानुसा र है :

- ➢ क्षेत्रीय वन वृत्त – 06
- ➢ कार्य आयोजना वन वृत्त – 01
- ➢ प्रोजेक्ट टाईगर – 01
- ➢ क्षेत्रीय वन मंडल – 32
- ➢ अनुसंधान विस्तार एवं कार्य आयोजना वन मंडल – 09
- ➢ सूचना प्रौधोगिकी मंडल – 01
- ➢ राष्ट्रीय उद्यान – 03
- ➢ वन्य प्राणी अभ्यारण्य – 11
- ➢ वन विद्यालय (वनपाल/वनरक्षक प्रशिक्षण) – 01
- ➢ वन विघालय, वनरक्षक प्रशिक्षण – 02
- ➢ उप वन मंडल – 75
- ➢ परिक्षेत्र – 282+38 (320)
- ➢ परिक्षेत्र सहायक वृत्त – 872
- ➢ बीट – 3287

वर्तमान में वन विभाग में कार्यरत विभिन्न स्तर के कार्यपालिक/लिपिकीय अमले का विवरण निम्नानुसार है :

क्रं.	पद प्रवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत
1	2	3	4
1	भा. व. से. अधिकारी	131	126
2	राज्य वन सेवा अधिकारी (रा.ल.व.संघ के स्वीकृत 39 पद सम्मिलित करते हुए ।)	143+39 =182	155
3	लेखा अधिकारी	3	2
4	प्रशासकीय अधिकारी	1	1
5	स्टाफ आफिसर	1	0
6	वन क्षेत्रपाल	480	338
7	उप वन क्षेत्रपाल	650	649
8	वनपाल	1668	1609
9	वनरक्षक	4770	4542
10	कार्यालय अधीक्षक	13	9
11	लेखा अधीक्षक	13	11
12	मुख्य लिपिक	51	44
13	लेखापाल / सहायक ग्रेड – 2	505	474

14	सहायक ग्रेड – 3	681	633
15	वरिष्ठ निज सहायक	3	5
16	निज सहायक	29	23
17	शीघ्र लेखक/स्टेनो टाइपिस्ट	52	47
18	मानचित्रकार	89	47
19	हल्के वाहन चालक	135	136
20	भारी वाहन चालक / क्रेन चालक	133	123
21	दफतरी	1	11
22	चौकीदार / अर्दली	430	434
23	ट्रक / ट्रेक्टर क्लीनर	18	10
24	ट्रक / ट्रेकटर क्लीनर (जिलाध्यक्ष दर पर)	123	34
25	सुपरवाईजर	2	1
26	जमादार	2	2
27	स्वीपर (जिलाध्यक्ष दर पर)	59	44
28	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा नियुक्ति)	1	0
29	सहा. कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा नियुक्ति)	9	0
30	डाटा एण्टी आपरेटर (संविदा नियुक्ति)	103	0
31	संचालक बजट (प्रतिनियुक्ति पर)	1	1
32	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	3	0
33	सहा. संचालक जन सम्पर्क (प्रतिनियुक्ति पर)	1	0
34	आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	0
35	सांख्यिकी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)	2	0
36	एस. ए. एस. लेखापाल (प्रतिनियुक्ति पर)	3	2
37	सहा. उप निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति पर)	7	0
38	पुलिस कांस्टेबल (प्रतिनियुक्ति पर)	28	0

वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय न्यूनतम प्रशासनिक इकाई बीट है। इसके उपर क्रमशः परिक्षेत्र सहायक वृत्त (रेंज असिस्टेन्ट सर्किल) परिक्षेत्र (रेंज) उप वन मंडल (सब –डिवीजन) वन मंडल(डिवीजन) तथा वन संरक्षक वृत्त (सर्किल) है ।

उपरोक्त क्षेत्रीय इकाईयों के अलावा विशिष्ट तकनीकी कार्यो जैसे – वन्यप्राणी, अनुसंधान / विस्तार, कार्य आयोजना एवं प्रशिक्षण हेतु पृथक प्रबंधन व्यवस्था है।

मानव संसाधन विकास :—

राज्य में वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार 3 संस्थान कार्यरत हैं :—

क्र	संस्थान का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण सत्रों की संख्या
1	वनपाल वन विद्यालय जगदलपुर	50	6 माह	2
2	वन रक्षक शाला महासमुन्द	50	6 माह	2
3	वनरक्षक शाला सक्ती	50	6 माह	2

- इन संस्थानों में प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।
- तीनों संस्थानों में संयुक्त वन प्रबंधन/लोक संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत गठित समितियों के सदस्यों को भी वानिकी के विभिन्न विधाओं में व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रशिक्षण आयोजित जाते है। साथ ही वन कर्मचारियों के लिये भी रिफ्रेशर कोर्स संचालित किये जाते है।

मानव संसाधन विकास हेतु अधिकारियों को भारत सरकार के विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थानों जैसे— वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, कोलकता, बैंगलोर, उष्णकटिंबधीय वन संस्थान जबलपुर आदि संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

वन विभाग की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं

संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य में 3499 वन सुरक्षा समितियाँ एवं 3609 ग्राम वन समितियाँ कुल योग 7058 वन समितियाँ गठित कर जनता एवं वन विभाग के अमले द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से वन प्रबंधन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र का प्रबंधन एवं सुरक्षा उपरोक्त वन समितियों के माध्यम से किया जा रहा है तथा शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र को भी संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत लाने के प्रयास किये जा रहे है।

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

वन विभाग के उप वनमंडल, वनमंडल, वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष (प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय) स्तर पर जन सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। इन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण एवं अनुश्रवण कराया जायेगा।

मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते

वन विभाग, विभागाध्यक्ष (प्रधान मुख्य वन संरक्षक) कार्यालय

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़),

पिन कोड नंबर – 492001

फोन नंबर – 0771– 2552221, फैक्स नंबर – 0771– 2552210

1. रायपुर वृत्त रायपुर

अनुक्र.	वृत्त का नाम	वृत्त में सम्मिलित वन मंडल का नाम	वन मंडल में सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	रायपुर	रायपुर वन मंडल (रायपुर)	1 रायपुर (रायपुर)	1 रायपुर (रायपुर) 2 बलोदाबाजार 3 लवन (बार)
			2 कसडोल (कसडोल)	1 अर्जुनी (अर्जूनी) 2 बिलाईगढ़ (बिलाईगढ़) 3 देवपुर (देवपुर) 4 सोनाखान(कसडोल)
			3 अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य (बार)	1 बारनवापारा अभ्यारण्य (बार)
2		पूर्व रायपुर वन मंडल (रायपुर)	1 राजिम (रायपुर)	1 फिंगेश्वर (फिंगेश्वर) 2 पांडूका 3 छूरा (छूरा) 4 परसुली (परसुली)
			2 गरियाबंद (गरियाबंद)	1 गरियाबंद (गरियाबंद) 2 नवागढ़ (नवागढ़) 3 धवलपुर (धवलपुर) 4 गरियाबंद काष्ठागार (गरियाबंद)
3		उदन्ती वन मंडल गरियाबंद	1 उदन्ती (गरियाबंद) 2 देवभोग (मैनपुर) 3 अधीक्षक उदन्ती अभ्यारण्य (मैनपुर)	1 मैनपुर (मैनपुर) 2 कुल्हाड़ीघाट (मैनपुर) 1 तौरेगा (मैनपुर) 2 इदागांव (देवभोग) 1 उदन्ती अभ्यारण्य (मैनपुर)

4		धमतरी वन मंडल (धमतरी)	1 धमतरी उप वन मंडल (धमतरी) 2 बिरगुडी उप वन मंडल (नगरी)	1 धमतरी (धमतरी) 2 उत्तर सिंगपुर (मोहदी) 3 केरेगांव (केरेगांव) 4 धमतरी काष्ठागार (धमतरी) 1 दक्षिण सिंगपुर (सिंगपुर) 2 दुगली (दुगली) 3 बिरगुडी (बिरगुडी)
			3 नगरी उप वन मंडल (नगरी)	1 नगरी (नगरी) 2 साकरा (साकरा) 3 नगरी काष्ठागार
5		धमतरी वन मंडल (धमतरी)	1 अधीक्षक सीतानदी अभ्यारण्य (नगरी)	1 सीतानदी (सिहावा) 2 रिसगांव (सांकरा)
6		महासमुंद वन मंडल (महासमुंद)	1 महासमुंद (महासमुंद) 2 पिथौरा (पिथौरा) 3 सराईपाली (सराईपाली)	1 महासमुंद (महासमुंद) 2 बागबाहरा (बागबाहरा) 1 पिथौरा (पिथौरा) 2 विक्रय काष्ठागार पिथौरा (पिथौरा) 1 सराईपाली (सराईपाली) 2 बसना (बसना)
7		अनुसंधान विस्तार वन मंडल रायपुर	–	1 कसडोल 2 महासमुंद 3 सराईपाली 4 राजिम 5 धमतरी (रायपुर) 6 रायपुर (अनुसंधान विस्तार)

<u>2. बिलासपुर वृत्त बिलासपुर</u>

अनु क्र.	वृत्त का नाम	वृत्त में सम्मिलित वन मंडल का नाम	वन मंडल में सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	बिलासपुर	1 बिलासपुर	1.बिलासपुर (बिलासपुर) 2. लोरमी (लोरमी) 3. अचानकमार (अभ्यारण्य) कोटा	1 बिलासपुर 2 विक्रय डिपो कोटा 1 लोरमी 2 खुडिया 3 लमनी 1 अचानकमार अभ्यारण्य 2 गेमरेंज अचानकमार 3 लमनी अभ्यारण्यपरिक्षेत्र

2		2 मरवाही	1 पेड्रा 2 संलग्न अधिकारी 3 कोटा	1 मरवाही 1 पेण्ड्रा 3 गौरेला 4 खोड्री 5 मड़ना काष्ठागार 1 कोटा 2 रतनपुर 3 केंदा
3		3 कोरबा (कोरबा)	1.उत्तर कोरबा 2. दक्षिण कोरबा (कोरबा)	1 कोरबा 2 बाल्को 3 लेमरू 1 कुदमुरा 2 करतला 3 उत्पादन कुदमुरा
4		4 कटघोरा (कटघोरा)	1 कटघोरा 2 पाली	1 पसान 2 जदगा 3 केन्दई 4 ऐतमानगर 5 कसनिया काष्ठागार 1 पाली 2 चैतमा 3 कटघोरा
5		5 धरमजयगढ़	1 लैलूगा 2 धरमजयगढ़	1 कापू 2 बाकरूमा 3 लैलूगा 1 बोरो 2 धरमजयगढ़ 3 छाल
6		6 रायगढ़ (रायगढ़)	1 रायगढ़ (रायगढ़) 2 घरघोड़ा (घरघोड़ा) 3 गोमर्डा अभ्यारण्य (सांरगढ़)	1 रायगढ़ 2 सारंगढ़ 3 काष्ठागार उरदना 1 तमनार 2 घरघोड़ा 3 खरसिया 1 गेम रेंज सांरगढ़

7		7 जांजगीर –चांपा	1 जांजगीर–चांपा	1 बलौदा 2 चांपा 3 सक्ती
8		8 सामाजिक वानिकी बिलासपुर	सामाजिक वानिकी बिलासपुर	1 सामाजिक वानिकी इकाई बिल्हा 2 सा. वा.इकाई कोटा 3 सा. वा. इकाई अकलतरा 4 सा. वा.इकाई तखतपुर 5 सा. वा. इकाई पथरिया 6 सा. वा. पेण्ड्रा 7 सा. वा. इकाई कोरबा
9		9 अनुसंधान विस्तार वन मंडल	अनुसंधान विस्तार वन मंडल	1 बिल्हा (बिलासपुर) 2 तखतपुर 3 कोटा 4 पथरिया 5 पेण्ड्रा 6कोरबा 7 अकलतरा

3. दुर्ग वृत्त दुर्ग

अनु क्र.	वृत्त का नाम	वृत्त में सम्मिलित वन मंडल का नाम	वन मंडल में सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	दुर्ग	दुर्ग (दुर्ग)	1 दुर्ग 2 दल्लीराजहरा (बालौद)	1 दुर्ग 2 बेमेतरा (बेमेतरा) 3 बालौद (गुरूर) 1 लोहरा (लौहारा) 2 दल्लीराजहरा 3 डोंडी 4 बालोद काष्ठागार
2		2 राजनांदगांव	1 राजनांदगांव 2 चौकी	1 राजनांदगावं 2 बाघनदी 3 खुज्जी (डोंगरगांव) 1 चिरचारी (काष्ठागार) 2 चौकी 3 पानाबरस (मोहला)

			3 मानपुर (मोहला)	1 मानपुर उत्तर (मानपुर) 2 मानपुर दक्षिण (मानपुर)
3		3 खैरागढ़	1 खैरागढ़ 2 गंडई 3 डोंगरगढ़	1 खैरागढ़ 1 छुई खदान 2 साल्हेवारा 3 गण्डई 1 डोंगरगढ़ 2 उत्तर बोरतलाव (डोंगरगढ़) 3 दक्षिण बोरतलाव (डोंगरगढ़) 4 अछोली काष्ठागार
4		4 कवर्धा (कवर्धा)	1 कवर्धा (कवर्धा)	1 कवर्धा (कवर्धा) 2 तरेगांव (पाडातरई) 3 चिल्फी (चिल्फी) 4 काष्ठागार कवर्धा
5		5.सहसपुर लोहारा	2 सहसपुर लोहारा	1 सहसपुर लोहारा 2 रेंगाखार (रेगाखार) 3 खारा (रेंगाखार)
6		6.पन्डरिया	3 पंडरिया (पंडरिया)	1 पूर्व पंडरिया (पंडरिया) 2 पश्चिम पंडरिया (पंडरिया)
7		7.भोरमदेव (अभ्यारण्य)	4 भोरमदेव अभ्यारण्य (कवर्धा)	1 अभ्यारण्य परिक्षेत्र भोरमदेव(कवर्धा)

4. जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

अनु क्र.	वृत्त का नाम	वृत्त में सम्मिलित वन मंडल का नाम	वन मंडल में सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	जगदलपुर	1 बस्तर (जगदलपुर)	1 जगदलपुर	1 जगदलपुर 2 माचकोट (जगदलपुर)
			2 चित्रकूट (जगदलपुर)	1 दरभा 2 चित्रकुट (जगदलपुर 3 कोलेग (दरभा)
			3 बस्तर (जगदलपुर)	1 बस्तर (बस्तर) 2 करपावंड 3 भानपुरी 4 सरगीपाल काष्ठागार
2		2 सुकमा	1 सुकमा	1 सुकमा 2 योगपाल 3 सुकमा काष्ठागार
			2 दोरनापाल (सुकमा)	1 जगरगुण्डा 2 दोरनापाल
			3 कोण्टा (कोण्टा)	1 कोण्टा 2 गोलापल्ली 3 किस्टारभ (गोलापल्ली)
3		3 बीजापुर	1 बीजापुर	1 बीजापुर 2 भैरमगढ़ 3 गंगालूर 4 बीजापुर काष्टागार
			2 भोपालपट्टनम	1 भोपालपट्टनम 2 मद्देड़
			3 आवापल्ली	1 आवापल्ली 2 पामेड (आवापल्ली)
4		4 दंतेवाड़ा	1 दंतेवाड़ा	1 दंतेवाड़ा 2 बचेली 3 दंतेवाड़ा काष्ठागार
			2 गीदम	1 गीदम 2 बारसूर 3 नेलसगर
5		5 कांगेर घाटी	1 कांगेर घाटी	1 कोटमसर (जगदलपुर) 2 कोलेग (जगदलपुर)

6		6 इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान	1 कुटरू अभ्यारण्य (बीजापुर) 2 भोरम अभ्यारण्य 3 पामेड अभ्यारण्य (आवापल्ली)	1 कुटरू गेमरेंज 2 सेडरा (फरसगढ़) 3 बीजापुर 1 भेरमगढ़ गेमरेंज 1 पामेड गेमरेंज (आवापल्ली)
7		7 अनुसंधान विस्तार वन मंडल (जगदलपुर)	—	1 जगदलपुर 2 बस्तर (जगदलपुर) 3 टोकपाल (जगदलपुर) 4 गोमाद 5 बीजापुर 6 कमाटा (सुकमा)

5. कांकेर वृत्त कांकेर

अनु क्र.	वृत्त का नाम	वृत्त में सम्मिलित वन मंडल का नाम	वन मंडल में सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	कांकेर	1 कांकेर	1 कांकेर	1 कांकेर 2 नरहरपुर 3 सरोना 4 कांकेर काष्ठागार
			2 कोरर	1 कोरर 2 चारामा
2		2 पूर्व भानुप्रतापपुर	1 भानुप्रतापपुर	1 भानुप्रतापपुर 2 दुर्गकोंदल 3 भानुप्रतापपुर (काष्ठागार) बांसा
			2 अंतागढ़	1 अंतागढ़ 2आमाबेड़ा 3 अंतागढ़ (बांसागार)
3		3 पश्चिम भानुप्रतापपुर	1 पूर्व कापसी	1 कापसी 2 कोयलीबेडा (कोयलीबेडा) 3 कापसी उत्पादन
			2 पश्चिम कापसी	1 पूर्व परलकोट 2 पश्चिम परलकोट 3 परलकोट उत्पादन 4 बादे बांसागार
4		4 नारायणपुर	1 उत्तर नारायणपुर	1 नारायणपुर 2 पूर्व सोनपुर 3 प. सोनपुर
			2 दक्षिण नारायणपुर	1 घौडाई 2 छोटेडोगर 3 बेनूर 4 नारायणपुर काष्ठागार
5		5 उत्तर कोण्डागांव	1 फरसगांव	1 फरसगांव 2 बडेडोगर
			2 केशकाल	1 केशकाल 2 बडे राजपुर 3 केशकाल काष्ठागार

6		6 दक्षिण कोण्डागांव	1 पूर्व कोण्डागांव 2 पश्चिम कोण्डागांव	1 मूलमूला 2 दहाकोना 3 माकटी 4 अमरावती 1मर्दापाल 2 कोण्डागांव 3 नारंगी परिक्षेत्र (कोण्डागांव) 4 कोण्डागांव काष्ठागार
7		7 नारंगी क्षेत्र	नारंगीक्षेत्र	1 आरेंज क्षेत्र कांकेर 2 आरेंज क्षेत्र भानुप्रतापपुर 3 आरेंज क्षेत्र नारायणपुर 4 आरेंज क्षेत्र कोण्डागांव

6. सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर

अनु क्र.	वृत्त का नाम	वृत्त में सम्मिलित वन मंडल का नाम	वन मंडल में सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर	1. दक्षिण सरगुजा मु. अम्बिकापुर	1 अम्बिकापुर मु.अम्बिकापुर 2 उदयपुर मु.अम्बिकापुर 3 सूरजपुर मु. सूरजपुर	1 अम्बिकापुर 2 सीतापुर 1 लखनपुर 2 उदयपुर 1 सूरजपुर 2 प्रेमनगर 3 कुदरगढ़
2		2. उत्तर सरगुजा मु. अम्बिकापुर	1 वाड्रफनगर मु. वाड्रफनगर 2 प्रतापपुर 3 तोमर पिंगला अभ्यारण्य मु. अम्बिकापुर	1 बिहारपुर 2 रघुनाथपुर 3 वाड्रफनगर 1 धमनी 2 प्रतापपुर 3 धुई 1 तोमर पिंगला
3		3. पूर्वी सरगुजा मु. अम्बिकापुर	1 रामानुजगंज	1 रामानुजगंज 2 बलरामपुर 3 चॉन्दो

			2 घौरपुर मु. अम्बिकापुर	1 धौरपुर
				2 राजपुर
				3 कुसमी
			3 सेमरसोत अभ्यारण्य मु. अम्बिकापुर	1 सेमरसोत मु. अम्बिकापुर
4		4. कोरिया मु. बैकुण्ठपुर	1 उत्तर बैकुण्ठपुर मु. बैकुण्ठपुर	1 कोटाडोल
				2 सोनहत
			2 दक्षिण बैकुण्ठपुर	1 देवगढ़
				2 बैकुण्ठपुर
				3 चिरमिरी
				4 खडगांवा
5		5. मनेन्द्रगढ़	1 जनकपुर	1 जनकपुर
				2 कुवारपुर
				3 बेहरासी
			2 कल्हारी मु. मनेन्द्रगढ़	1 केल्हारी
			3 मनेन्द्रगढ़	1 बिहारपुर
				2 मनेन्द्रगढ़
6		6. जशपुर मु. जशपुर	1 अपरघाट मु. जशपुर	1 जशपुर
				2 मनोरा
				3 सन्ना
			2 लोवरघाट मु. कुनकुरी	1 दुलदुला
				2 कुनकुरी
				3 तपकरा
			3 पत्थलगांव मु.	1 कासाबेल
				2 बगीचा
				3 पत्थलगांव
			4 बादलखोल अभ्यारण्य	1 बादलखोल गेमरेंज
7		7. गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर	1 गुरूघासीदास (उप संचालक)	1 जनकपुर
				2 कमर्जी
				3 रामगढ़
				4 सोनहत
			2 वन व्यवस्थापन इकाई, अम्बिकापुर	1 रेहन्ड
			3 नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण इकाई जशपुर	1 जशपुर जिला

समस्त कार्यालयों की कार्यालयीन समय – प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश दिनों को छोड़कर)